न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज॰)

पीठासीन अधिकारी—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—04/2020

सोहनसिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह जाति कुम्हार उम्र 54 वर्ष निवासी चक 21 एएस—बी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

——————प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

——————अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक 12/01/2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया गया प्रार्थी के नाम से वाके चक रामसराराठान तहसील अनूपगढ़ के खसरा सं. 17/57 में 6.325 हैक्टर बारानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का नाम सोहनलाल अंकित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सोहनसिंह है जो एक लिपिकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जाना इन्साफन आवश्यक व उचित है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सलग्न है। प्रार्थी ने आज कृषि ऋण लेने के लिए जमाबन्दी प्राप्त की तो पता चला कि उसके नाम की कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोहनलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम सोहनसिंह दर्ज है। इसके अलावा चक 21 एएस—ए तहसील घड़साना का मुरब्बा सं. 25 पत्थर सं. 143/5 में 3 बीघा दर्ज रिकार्ड है जिसमें भी प्रार्थी का नाम सोहनसिंह दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना—पत्र है। प्रार्थी के नाम की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सोहनलाल दर्ज होने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार हल्का से मिलकर अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो तहसीलदार हल्का ने सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का कहा। इसलिए प्रार्थी श्रीमान् जी के समक्ष उपस्थित होकर यह अनवानी प्रार्थना—पत्र पेश कर है तथा यही वाद कारण है। अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि वाके रामसराराठान तहसील अनूपगढ़ का खसरा नं. 17/57 में 6.325 हैक्टर बारानी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोहनसिंह दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसी[illegible] जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 चक रामसरा बारानी खाता सं. 5[illegible] खसरा सं. 17/[illegible] 6.325 हैक्टर बारानी रकबा सोहनलाल पुत्र पूर्णसिंह जाति कुम्हार सा. ढाबा गैरखातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा क[illegible] है कि उसका वास्तविक नाम सोहनसिंह है जिसके लिए प्रार्थी ने अपने सोहनसिं[illegible] के दस्तावेज पेश किए है एवं जमाबन्दी में नाम लिपिकीय भूल से सोहनलाल दर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.04 11:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी को उक्त भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन हुई है जिसका आवंटन आदेश दिनांक 19.04.1990 जारी है आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र पूर्णसिंह जाति कुम्हार सा. ढांबा तह. अनूपगढ़ अंकित है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश के तथ्य को छुपाकर लिपिकीय भूल बताया है जो कि सही नहीं है। प्रार्थी को रामसरा में खसरा नं. 17 में 25 बीघा बारानी भूमि का आवंटन ही सोहनलाल के नाम से हुआ है तथा उसी अनुरूप ही जमाबन्दी में अंकन हुआ है जो लगातार वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज है तो लिपिकीय भूल होना नही माना जा सकता। पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी को उक्त भूमि सोहनलाल पुत्र पूर्णसिंह के नाम से ही आवंटन हुई थी एवं वर्तमान में कृषि भूमि की जमाबंदी में सोहनलाल पुत्र पूर्णसिंह का अंकन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का दर्ज करवाने संबंधी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश की प्रति भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.04 11:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner